सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन

Court of Chief Commissioner for Persons with Disabilities

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Ministry of Social Justice & Empowerment

निःशक्तता कार्य विभाग/Department of Disability Affairs

केस संख्या : 227/1141/11-12 **दिनांक : 20.01.2014**

के मामले मेः-

श्रीमती कनिया देवी
पत्नी श्री अर्जुन लाल,
ग्राम व डाकखाना - हरजी,
जिला - जालोर (राजस्थान) .... शिकायतकर्ता

बनाम

सचिव (सीमा प्रबंध),
गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक,
केन्द्रीय सचिवालय,
नई दिल्ली-110001 .... प्रतिवादी-1

महानिदेशक, बी.एस.एफ.
सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय,
नई दिल्ली । .... प्रतिवादी-2

सुनवाई की तारीखः-16.07.2013,21.09.2012,04.06.2013

उपस्थितः

16.7.2013

1. श्रीमती कनिया देवी, शिकायतकर्ता ।
2. श्री पंकज सूदन, डिप्टी कमांडेन्ट प्रतिवादी की ओर से ।

21.09.2012

1. श्री पंकज सूदन, डिप्टी कमांडेन्ट प्रतिवादी की ओर से ।
2. शिकायतकर्ता की ओर से कोई नहीं ।

04.06.2013

1. श्री पंकज सूदन, डिप्टी कमांडेन्ट प्रतिवादी की ओर से ।
2. शिकायतकर्ता की ओर से कोई नहीं ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनके पति के कर्तव्य निर्वहन के दौरान विकलांग (100 प्रतिशत दृष्टिहीनता) हो जाने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलवाने के संबंध में बिना दिनांक शिकायत प्रस्तुत की, जोकि इस न्यायालय में दिनांक 19.12.2011 को प्राप्त हुई । 2/-

2. शिकायतकर्ता का कहना था कि उनके पति श्री अर्जुनलाल आंध्र प्रदेश राज्य की आन्तरिक सुरक्षा डयूटी के दौरान नक्सलवादियों द्वारा बिछाई गई जमीनी बारूदी सुरंग विस्फोट से दोनों आँखों से नेत्रहीन हो गए । दुर्घटना के बाद डी.आई.जी. आई.एस. डयूटी, हैदराबाद द्वारा की गई सिफरिश के बावजूद न तो उन्हें विशेष कल्याणकारी राहत मिली और न ही अन्य संवैधानिक मुआवजा, जैसे (1) विकलांगता क्षतिपूर्ति, (2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक्सग्रेशिया, (3) बी.एस.एफ. सीमा प्रहरी बीमा योजना, (4) सन् 2011 बजट घोषणा में घोषित ड्यूटी के दौरान हुए सेना अथवा अर्द्धसैनिक बल (बी.एस.एफ) के पूर्णतः विकलांग सिपाही को विशेष राहत उनके पति को केवल 1275/- रुपए मासिक पैंशन पर सेवानिवृत्त कर दिया गया ।

3. मामला अधिनियम की धारा 59 के अधीन सचिव (सीमा प्रबंध), गृह मंत्रालय एवं महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल के साथ इस न्यायालय के कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.03.2012 द्वारा उठाया गया ।

4. उप महानिरीक्षक (स्थापना), सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय ने अपने पत्र क्रमांक 14/111/2011-स्था./बीएसएफ/7189-91 दिनांक 22.03.2012 द्वारा सूचित किया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 16-39/2002-एन.आई. I दिनांक 10.09.2002 द्वारा सीमा सुरक्षा बल के सभी श्रेणियों के पदों को बी.एस.एफ.द्वारा किए जाने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए निःशक्तता अधिनियम,1995 की धारा 33 और 47 के प्रावधानों से मुक्त किया गया । तथापि, शिकायतकर्ता के पति दिनांक 12.01.1992 को नक्सल पीड़ित क्षेत्र में बारुदी सुरंग विस्फोट से दोनों आंखों से दृष्टि विहीन हो गए । उन्हें दिनांक 26.07.1999 को मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया और मेडिकल बोर्ड ने 100 प्रतिशत अपंगता घोषित करने के उपरान्त उनके पति को चिकित्सा आधार पर दिनांक 15.02.2000 से 100 प्रतिशत निःशक्तता पेंशन (CCS(EOP)Rule) के साथ सेवानिवृत्त कर दिया। उन्होंने दुर्घटना के समय 12 साल 10 महीने एवं 125 दिन की सेवा की थी । मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग के अनुसार कार्मिक की विकलांगता का सीधा संबंध सरकारी सेवा से था । इसलिए वेतन एवं लेखा विभाग के पत्र दिनांक 18.06.2013 के द्वारा नारमल पेंशन को विकलांगता पेंशन में रिवाइज़ कर दिया गया । अभिलेख के अनुसार उन्हें नियमानुसार जो भी राशि देय थी, उसका निम्नानुसार भुगतान किया गयाः-

(i)	एक्स ग्रेशया (राज्य सरकार)	-	50,000/- रु. (डीजी एवं आईजी(पी) एपी द्वारा संदत्त ।
(ii)	वित्तीय सहायता (बेनेवोलैंट फण्ड)	-	16,500/-
(iii)	डी सी आर जी	-	30,722/-
(iv)	सी जी ई जीआईएस	-	4,546/-
(v)	छुट्टी नकदीकरण	-	21,587/- रु.
(vi)	जी.पी.एफ.	-	46,102/- रु.
(vii)	निःशक्तता पेंशन (ईओपी)	-	3,425/- रु. (पुनरीक्षित)

चूंकि उन्हें विकलांगता पेंशन नियमानुसार पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है, इसलिए वह विकलांगता क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं है । जहां तक भारतीय जीवन बीमा निगम की सीमा प्रहरी बीमा योजना का संबंध है, योजना दिनांक 01.09.1993 को लागू हुई थी जबकि उनके साथ दुर्घटना 12.01.1992 को घटित हुई थी, इसलिए वह इस योजना के तहत लाभ के हकदार नहीं हैं । जहां तक नियमित चिकित्सा भत्ता रु. 3000/- प्रति माह का संबंध है, भारत सरकार, कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन दिनांक 07.12.2009 और सी.सी.एस. (ईओपी) नियमों के नियम (6-क) के अनुसार यह भत्ता केवल उन्हीं शत-प्रतिशत सेवानिवृत्त विकलांग व्यक्तियो को देय है जो रोज़मर्रा के कार्यों के लिए पूर्ण रूप से किसी अन्य पर निर्भर हों । उन्हें पत्र संख्या 2880-85 दिनांक 02.02.2012 द्वारा सलाह दी जा चुकी है कि इस संबंध में आगामी पत्राचार/स्पष्टीकरण अपनी यूनिट अर्थात् 43वीं बटालियन बी.एस.एफ. के माध्यम से पी.ए.डी., बी.एस.एफ. से करें । अतः भूतपूर्व कांस्टेबल अर्जुन लाल को नियमों के अधीन देय सभी वित्तीय फायदे दिए जा चुके हैं ।

5. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर दिनांक 22.03.2012 के मद्देनज़र मामले की दिनांक 16.07.2012 को सुनवाई की गई ।

6. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता श्रीमती कनिया देवी ने कहा कि चूंकि उनके पति श्री अर्जुन लाल ने ड्यूटी करते हुए आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटी के दौरान अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी, उन्हें सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि वह टेलीफोन आपरेटर, भोजन बनाने में सहयोग, सफाई, चपरासी जैसे कई कार्य कर सकते हैं । उन्होंने यह भी बताया कि उनके पति को कमान्डेन्ट, 43 बी.एन., बी.एस.एफ. के पत्र दिनांक 02.12.2011 (दिनांक 03.01.2012 को हस्ताक्षरित) में उल्लेखित निम्नांकित राशि प्राप्त नहीं हुई -

(i) क्षतिपूर्ति के बदले में - रु. 83,655/-

(ii) डी.सी.आर.जी. - रु. 50,783/-

वास्तव में उनके पति ने डी.सी.आर.जी. के रूप में रु. 30,722/- प्राप्त किए । श्री अर्जुन लाल ने बताया कि सेवानिवृत्ति के कागजात तैयार करते समय 43-बी.एन., बी.एस.एफ. ने उनकी पत्नी को कहा कि वह निःशक्तता क्षतिपूर्ति की स्थिति के रूप में रु.2,80,000/- के पात्र हैं । अक्षम होने के कारण वह चिकित्सा आधार पर बल से निकाले जाने के लिए सहायता के रूप में रु. 9,00,000/- की राशि पाने के हकदार हैं, जिसका उन्हें भुगतान नहीं हुआ । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उनके शरीर में अनेकों घाव लगे हैं तथा उन्हें बी.एस.एफ. द्वारा दी गई राहत राशि (क्षतिपूर्ति) बहुत कम है ।

7. प्रतिवादी संख्या 2 के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण दियाः-

"(i) सी.सी.एस. (ई.ओ.पी.) नियमों के नियम 13 के अधीन उप नियम (4) के अनुपालन में बी.एस.एफ. की 43वीं बटालियन द्वारा निःशक्तता का पूंजीगत मूल्य रु. 83,655/- निर्गत किया गया है । परन्तु 43वीं बटालियन द्वारा इस राशि का दावा नहीं किया गया था, क्योंकि यह व्यक्ति बी.एस.एफ. की 78वीं बटालियन यूनिट से बाहर अलग तैनात

किया गया था । तद्नुसार सभी दस्तावेज नई यूनिट में प्रस्तुत किए गए । जब यूनिट ने रु.83,655/- की निःशक्तता राशि के साथ-साथ पेंशन की स्वीकृति के लिए मामला हाथ में लिया, तब पी.ए.डी., बी. एस.एफ. द्वारा यह बताते हुए कि मामले की समय-सीमा समाप्त हो गई है,इसे वापिस कर दिया गया । तथापि, मंत्रालय से आवश्यक रियायत प्राप्त करने के बाद उसे रु. 3,425/- (रु. 1,712/- + 1,712/-) की निःशक्तता पेंशन का भुगतान किया गया । भुगतान राशि में रु. 83,655/- की जिस राशि का उल्लेख किया गया, वह भ्रांतिपूर्ण है, जिसके लिए वह पात्र नहीं है, चूंकि उसे निःशक्तता पेंशन प्रदान की गई है ।

(ii) डी.सी.आर.जी. के सापेक्ष उसे रु. 30,722/- का भुगतान किया गया, जिसका रु. 50,783/-के रूप में भ्रांतिपूण तरीके से उल्लेख किया गया था । इस संबंध में आवेदक की सूचना सैक्टर मुख्यालय, फिरोजपुर द्वारा पहले ही अग्रेषित कर दी गई है और मुख्य आयुक्त निःशक्तजन कार्यालय को भी बी.एस.एफ. के मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.03.2012 द्वारा याचिकाकर्ता को अवगत कराते हुए सूचित कर दिया गया कि डी.सी.आर.जी. का केवल रु. 30,722/- का भुगतान किया गया है ।

(iii) अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त प्रतिकर राशि रु. 9,00,000/- केवल सीएपीएफ (केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस कार्मिक) के उन मामलों में ग्राह्य है, जो चिकित्सीय अक्षमता के कारण दिनांक 01.04.2011 को या उसके बाद सेवा से निकाले गए हैं ।

(iv) शिकायतकर्ता अपने पुत्र के 12वीं कक्षा पास करने के बाद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकती है ।

8. इस मामले के तथ्यों पर गौर करने के बाद निम्नलिखित अवलोकित किया गयाः-

(क) श्री अर्जुन लाल ने दिनांक 12.01.1992 को निःशक्तता (अंधता) अर्जित की । डी.आई.जी., बी.एस.एफ. (आई.एस.डी.) आन्ध्र प्रदेश ने दिनांक 25.09.1992 को सिफारिश की कि श्री अर्जुन लाल को अंध विद्यालय में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और सेवा-निवृत्ति की आयु तक बी.एस.एफ. में उचित स्थान पर तैनात किया जाए । ओ.पी. सहित सभी अन्य वित्तीय लाभ भी लागू नियमों के अनुसार उसके पुनर्वास के लिए संस्तुत किए गए ।

(ख) निःशक्तजन (समान अवसर,अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जोकि इसमें अधिनियम के रूप में उद्धत है, वह दिनांक 07.02.1996 को अस्तित्व में आया । इस अधिनियम की धारा 47 के प्रावधान के आलोक में, श्री अर्जुन लाल को चिकित्सा आधार पर दिनांक 15.02.2000 को सेवा से नहीं निकाला जाना चाहिए था चूंकि अधिनियम की धारा 47 के क्षेत्र से बी.एस.एफ. को छूट देने के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 10.09.2002 को अधिसूचना

जारी की गई थी, जोकि उसे चिकित्सीय आधार पर सेवा से निकाले जाने के लगभग 2 वर्ष 8 मास बाद जारी हुई ।

(ग) यह न्यायालय यह महसूस करता है कि किसी निःशक्तजन को पूर्वव्यापी प्रभाव सहित लाभ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए । बी.एस.एफ. नियमावली का नियम 25, जिसके अन्तर्गत चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर श्री अर्जुन लाल को निकाला गया, वह अधिनियम, 1995 का दमन नहीं कर सकता और इस कारण अधिनियम की धारा 47 की संवीक्षा की जरूरत नहीं है ।

(घ) प्रथमदृष्टया, इसलिए शारीरिक निर्योग्यता के आधार पर श्री अर्जुन लाल की सेवानिवृत्ति दिनांक 15.02.2000 को करना,जोकि अधिनियम, 1995 के अस्तित्व में आने के बाद तथा छूट की तिथि से पहले हुई, सही और तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती ।

9. उपर्युक्त प्रेक्षण के आलोक में मुख्य आयुक्त निःशक्तजन ने प्रतिवादी को विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया कि क्यों न श्री अर्जुन लाल को पूर्ण लाभों के साथ सेवा मे पुनः बहाल किया जाए । शिकायतकर्ता के पति द्वारा उसे प्राप्त भुगतानों का प्रमाण सहित विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाए । प्रतिवादियों को यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया कि श्री अर्जुन लाल को उदार पेंशन अवार्ड दिया गया या किसी अन्य प्रकार की पेंशन दी गई और उन्हें किस प्रकार की पेंशन अधिक लाभदायक होगी, विकलांगता पेंशन के अलावा रु. 3000/- प्रति माह की दर से नियमित चिकित्सा भत्ते की स्वीकृति की स्थिति तथा यह कम से कम संभव समय के अन्तर्गत नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाए । प्रतिवादी को यह भी निर्देश दिए गए कि चूंकि शिकायतकर्ता और उसके पति श्री अर्जुन लाल अंग्रेजी पढ़ और समझ नहीं सकते, उनके साथ सभी पत्राचार सरल हिन्दी में किया जाए तथा नियमों को उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि वे उस निर्णय को लेने में सक्षम हो सके, जो उन्हें लाभदायक लगता है ।

10. दिनांक 21.09.2012 को सुनवाई के दिनांक न तो शिकायतकर्ता और न ही उसकी ओर से कोई उपस्थित हुआ । शिकायतकता ने प्रतिवादी के पत्र दिनांक 31.08.2012 पर अपने टिप्पण फाइल नहीं किए ।

11. दिनांक 17.09.2012 के अपने लिखित निवेदनों को दोहराते हुए प्रतिवादी संख्या 2 के प्रतिनिधि ने बताया कि 3,000/- रुपए का नियमित चिकित्सा भत्ता उन्हें मंजूर होने वाला है । उन्होंने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा बल नियम,1969 के नियम 25 के अन्तर्गत चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर श्री अर्जुन लाल को सेवामुक्त किया गया, जिसका अनुसरण शुरुआत से किया जा रहा है । सीमा सुरक्षा बल ने अधिनियम की धारा 33 ओर 47 के उपबंधों से छूट के लिए मामला गृह मंत्रालय के साथ इसके अधिनियमित होने के तुरन्त पश्चात् उठा दिया था । अधिसूचना संख्या 16-39/2002-एनआई. I तारीख 10.09.2002 द्वारा बी.एस.एफ. को छूट देने में सरकार को समय लगा ।

12. शिकायतकर्ता ने दिनांक 16.07.2012 को सुनवाई के दौरान निवेदन किया था कि उनके पति को सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि कार्यालय में वह कई प्रकार का काम कर सकते हैं ।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत की गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार श्री अर्जुन लाल सेवा में नियोजन के लिए पात्र नहीं है क्योंकि उन्हें विकलांगता पेंशन प्रदान की जा रही है ।

13. प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को संबोधित अपने पत्र संख्या 14/111/स्था.-2012/सीसुबल/24703-06 दिनांक 08.11.2012 द्वारा सूचित किया कि इस न्यायालय के कार्यवाही अभिलेख दिनांक 06.08.2012 की अनुपालना में संपूर्ण जानकारी पूरे विवरण के साथ पहले ही उनके पत्र संख्या 14/स्था.-2012/सीसुबल/21421-24 दिनांक 31.08.2012 के तहत दी जा चुकी है, फिर भी जैसे कि उन्हें अवगत कराया जा चुका है कि उनके पति जब 43वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल में तैनात थे, उस दौरान आन्ध्र प्रदेश में दिनांक 12.01.1992 को नक्सल पीड़ित क्षेत्र में बारुदी सुरंग विस्फोट होने से वे दोनों आंखों से दृष्टिविहीन हो गए । नियानुसार उनके पति का रिव्यू मेडिकल बोर्ड दिनांक 26.07.1999 को गठित हुआ एवं बोर्ड द्वारा 100 प्रतिशत अपंगता घोषित करने के उपरान्त उनके पति को चिकित्सा के आधार पर दिनांक 15.02.2000 से 100 प्रतिशत निःशक्तता पेंशन CCS (EOP) Rule के साथ सेवानिवृत्त किया गया । नियमानुसार जो भी राशि उनके पति को देय थी, उसका संपूर्ण भुगतान किया जा चुका है एवं उनके पति को प्रतिमाह रिवाइज्ड निःशक्तता पेंशन रुपए 7,742/- व देय आर.आई.पी. जो अंतिम वेतन बराबर है, प्रदान की जा रही है । चूंकि उनके पति को निःशक्तता पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है, इसलिए वे विकलांगता क्षतिपूर्ण के हकदार नहीं है । यह भी सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल में नियमानुसार शारीरिक अयोग्यता के आधार पर सेवानिवृत्त कार्मिकों को नौकरी में पुनःनियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है । जैसे कि पहले भी सूचित किया गया था कि उनके पति को 3000/- रुपए नियमित चिकित्सा भत्ता (Constant Medical Attendant Allowance) देय है जिसका वेतन एवं लेखा विभाग, सीमा सुरक्षा बल, पुष्पा भवन, मदनगीर, नई दिल्ली के पत्र ख्या पीएडी/29-61053(43) पेंशन-III /2012 दिनांक 30.10.2012 के तहत राशि रुपए 3000/- प्रतिमाह दिनांक 02.09.2008 से स्वीकृत किया जा चुका है जिसकी प्रति बैंक मैनेजर, स्टेट बैंक, पेटा एवं उनके पति को भी भेजी गई है, फिर भी इस आदेश की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर उनको भेजी जा रही है । साथ ही उनसे अनुरोध है कि आदेश की प्रति को लेकर अपने बैंक से संपर्क करें । इसके बावजूद भी उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वे कमाण्डेन्ट 43वीं बटालियन व इस मुख्यालय से संपर्क कर सकती हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान किया जा सके ।

14. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 08.11.2012 के उत्तर में शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 11.03.2013 के द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी/आपत्ति प्रस्तुत कीः-

1. चिकित्सा सहयोगी भत्ता जो सितम्बर, 2008 से लागू किया गया है, उसे सेवामुक्त अवधि से लागू किया जाए ।
2. अवकाश के दौरान श्री अर्जुन लाल के उपचार में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाए ।
3. सीमा प्रहरी बीमा योजना के अन्तर्गत अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गई है क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने 1997 में शत प्रतिशत अपंगता प्रमाणित करते हुए सिविल नौकरी के लिए अयोग्य बताया था और योजना के अन्तर्गत सेवामुक्त अवधि तक प्रीमियम की कटौती की गई थी ।

4. अपने पति की दृष्टिबाधिता और बच्चों के अध्ययन के मद्देनजर व सुरक्षा की दृष्टि से बीएसएफ, एवटीसी कैम्पस, जोधपुर में परिवार आवास आवंटन किया जाए ।

15. इस न्यायालय द्वारा जारी कार्यवाही के अभिलेख दिनांक 26.09.2012 के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 08.11.2012 तथा शिकायतकर्ता के प्रत्युत्तर दिनांक 11.03.2013 पर विचार करने के पश्चात् सुनवाई दिनांक 04.06.2013 को नियत की गई ।

16. दिनांक 04.06.2013 को सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ ।

17. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने अन्य बातों के साथ-साथ एक लिखित विवरणी प्रस्तुत की जिसमें शिकायतकर्ता को किए गए भुगतानों का विवरण था और यह कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार नियमित परिचर भत्ता 3000/- रुपए की दर से दिनांक 07.09.2009 से दिया जा सकता है, अर्थात् वह तारीख जब पेंशन और पेशनभोगी कल्याण विभाग का ज्ञापन संख्या 45/6/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ) दिनांक 07.12.2009 जारी किया गया था ।

18. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.12.2009 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन भारत सरकार के निर्णय से संबंधित है कि असैनिक कर्मचारियों को देय स्थिर परिचारक (Constant Attendant Allowance) भत्ते की दर में भी प्रत्येक बार 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी जब पुनरिक्षित वेतन बैन्ड्स पर मंहगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी हो जाती है । उक्त कार्यालय ज्ञापन के आरम्भ में यह कहा गया है कि "vide O.M. No.38/37/2008-P&PW(A) dated 02.09.2008 of Department of Pension & Pensionders' Welfare, the Constant Attendant Allowance of Rs.3,000/- shall be allowed in addition to the disability pension, on the lines existing in Defence Forces in the case of pensioners who retired on disability pension." अतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आदेश के जारी होने की तारीख उचित रूप से 02.09.2008 होनी चाहिए न कि 07.12.2009. तथापि, यदि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने वास्तव में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि नियमित परिचर भत्ता शिकायतकर्ता को केवल 07.12.2009 से दिया जा सकता है तब मामले में अंतिम निर्णय करने के लिए उक्त स्पष्टीकरण की एक प्रति इस कार्यवाही के अभिलेख की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत की जाए ।

19. इस न्यायालय की कार्यवाही के अभिलेख दिनांक 10.06.2013 के संदर्भ में प्रतिवादी ने पत्र संख्या 14/111/2011स्थापना/बीएसएफ/19945 दिनांक 09.07.2013 द्वारा सूचित किया कि 43वीं वाहिनी, बी.एस.एफ. के संख्या 760058334 भूतपूर्व सिपाही अर्जुन लाल को पुनरीक्षित प्राधिकारपत्र बाबत नियमित चिकित्सा भत्ता (Constant Attendant Allowance) 3000/- रुपए प्रति मास दिनांक 07.12.2009 की बजाय दिनांक 01.01.2006 से जारी करने के लिए वेतन एवं लेखा विभाग, सीमा सुरक्षा बल के पत्र संख्या पीएडी.29-61053/पीएन-III /बीएसएफ/टी-157/2000 दिनांक 20.6.2013 द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसकी प्रति सभी संबंधित को भेजी गई है । प्रतिवादी के

अनुसार 43वीं ब्टालियन के भूतपूर्व सिपाही अर्जुन लाल को नियमों के अधीन सभी ग्राह्य वित्तीय/पेंशनरी लाभ प्रदान किए जा चुके हैं और उनके कोई अन्य लाभ बकाया नहीं है ।

20. प्रतिवादी के मौखिक एवं लिखित निवेदनों तथा अभिलेख पर शिकायतकर्ता के सुसंगत दस्तावेज़ों पर विचार करने के पश्चात् यह न्यायालय प्रतिवादी का ध्यान निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 के प्रावधान की तरफ आकर्षित करना चाहता है, जोकि नीचे उद्धृत हैं :-

> *" **47. सरकारी नियोजन में विभेद का न किया जाना** - (1) कोई स्थापन, ऐसे कर्मचारा को, जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाता है, सेवोन्मुक्त या पंक्तिच्युत नहीं करेगा :*
>
> *परंतु यदि कोई कर्मचारी निःशक्त हो जाने के पश्चात् उस पद के लिए जिसको वह धारण करता है, उपयुक्त नहीं रह जाता है तो उसे, उसी वेतनमान और सेवा संबंधी फायदों वाले किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा :*
>
> *परन्तु यह और कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो उसे समुचित पद उपलब्ध होने तक या उसके द्वारा अधिवर्षिता की आय प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकेगा ।"*

21. यह न्यायालय यह महसूस करता है किसी निःशक्तजन को पूर्वव्यापी प्रभाव सहित लाभ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए । अतः प्रतिवादी संख्या 2 को उपर्युक्त धारा के प्रकाश में यह सलाह दी जाती है कि शारीरिक विकलांगता के आधार पर श्री अर्जुन लाल की दिनांक 15.02.2000 से सेवानिवृत्ति जोकि अधिनियम,1995 के अस्तित्व में आने के बाद तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अधिनियम की धारा 47 से बी.एस.एफ. को छूट मिलने की तारीख से पहले हुई, सही और तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती । अतः इस पर पुनर्विचार करें और सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता को सभी पारिणामिक फायदे प्रदान करें ।

22. मामले का तदनुसार निपटारा किया जाता है ।

हस्त/-

(पी. के. पिन्चा)
मुख्य आयुक्त (निःशक्तजन)